न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या : 168/2015

रामनाथ पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी गुदरावनी तह0 मांगरोल जिला बारां (राज0) ...वादी

♠ बनाम ♠

1. मुकन्दी पुत्र नाथू
2. लक्ष्मण मुकन्दी
3. पप्पू पुत्र मुकन्दी
4. बसन्ती पत्नि मुकन्दी
5. गुलाब पत्नि लक्ष्मण

जातियान सहरिया निवासीगण गुदरावनी हांल निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा, श्री कुलदीप जाजू

वकील प्रतिवादी : श्री अमित कुमार गौड

दायरा दिनांक: 03.09.2015

निर्णय दिनांक : 31.07.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 किस्म बारानी द्वितीय कुल किता 1 कुल रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता संख्या 55 वादी के खाते में दर्ज हो रही है वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। वादी की आराजी के लगवा ही प्रतिवादी कम 1 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 385/505 रकबा 2.00 है0 खाता संख्या 45 वाके ग्राम गुदरावनी में दर्ज है। प्रतिवादी कम 2 ता 6 प्रतिवादी कम 1 के पारिवारिक सदस्य है। प्रतिवादी कम 1 ता 6 वादी की उक्त आराजी में कब्जा करने की नियत से पत्थर व रेती डालकर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। प्रतिवादी कम 1 ता 6 से मौके पर पत्थर व ईटे व रेती आदि डालने की मना करने पर प्रतिवादी कम 1 ता 6 द्वारा डराने व धमकाने व जबरन कब्जा करने पर उत्पन्न हुआ। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 ता 6 के विरूद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि ग्राम गुदरावनी की आराजी खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 में प्रतिवादी कम 1 ता 6 बल पूर्वक प्रवेश नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 03.09.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिनकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कुमार गौड ने दिनांक 29.09.2015 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 ता 6 के अधिवक्ता ने दिनांक 05.05.2016 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी के वाद पत्र को अस्वीकार कर विशेष निवेदन किया कि प्रतिवादी कम 1 के खाते की आराजी खाता संख्या 45 खसरा नं0 385/505 रकबा 2.00 है0 ग्राम गुदरावनी में स्थित है वह उक्त आराजी पर ही मकान बनाकर लगभग 50 वर्षो से निवासरत होकर काश्त कर रहे है। वादी की आराजी प्रतिवादीगण की आराजी के लगवा स्थित है अतः वादी प्रतिवादीगण को जबरन धमका कर प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 की आराजी को हडपना चाहता है। और निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 अपनी खाते की आराजी पर ही काबिज होकर काश्त कर रहे है अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। वाद पत्र में वादी ने स्वीकार किया है कि वादी उसके खाते की आराजी खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 किस्म बारानी द्वितीय कुल किता 1 कुल रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल में काबिज काश्त है साथ ही प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 ने अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है कि वे अपने खाते की आराजी खाता संख्या 45 खसरा नं0 385/505 रकबा 2.00 है0 ग्राम गुदरावनी में काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण दोनो को एक दूसरे की आराजी से मतलब नही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व सुनी गयी बहस व वादी के वाद पत्र की प्रार्थना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। चुकि वादी व प्रतिवादीगण दोनो अपनी-अपनी खाते की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं दोनो व प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 दोनो को एक दूसरे की आराजी से मतबल नही है। अतः प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेश दिया जाता है कि वादी की आराजी ग्राम गुदरावनी की आराजी खसरा नं0 397/543 रकबा 1.60 है0 किस्म बारानी द्वितीय में किसी प्रकार की दखलअंदजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 की आराजी खाता संख्या 45 खसरा नं0 385/505 रकबा 2.00 है0 ग्राम गुदरावनी में किसी प्रकार की दखलअंदजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें एवं एक दूसरे को उक्त आराजी में शांती पूर्वक काश्त करने देवें व आराजी को यथा स्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।